

(2) व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ० मधु खरे

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 1462-एक/2009 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 01-08-2009 - पारित द्वारा - तत्का. प्रशासकीय
सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक
1055-एक/2009 निगरानी

श्रवणसिंह पुत्र नारायण सिंह
गर्वमेंट कालोनी विरलाग्राम
नागदा, जिला उज्जैन, म0प्र0
विरुद्ध

---आवेदक

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
तहसीलदार नागदा जिला उज्जैन

----अनावेदक

(श्री एस०के०बाजपेयी अभिभाषक - आवेदक)

(श्री बी०एम०त्यागी अभिभाषक - अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक २३ जून २०१६)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक
1055-एक/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक
01-08-2009 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की
धारा 51 के अंतर्गत प्रत्युत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि शासन निर्देशानुसार पट्टों की
जांच की मुहिम चलाई गई, जिसमें तहसीलदार नागदा ने पाया कि
शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 144 रकबा 0.12 हैक्टर (आगे जिसे
वादग्रस्त भूमि लिखा है) अजीमावाद पारदी नामक व्यक्ति के नाम
पर है एंव पूर्व में यह भूमि शासकीय अभिलेख में यह भूमि चरोखर

61

धॉस बीड़ के रूप में अंकित रही है जिसका बन्टन नहीं किया जा सकता। यही भूमि वाद में आवेदक के नाम शासकीय अभिलेख में अंकित होना पाये जाने से तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर आवेदक को सुनवाई के लिये सूचना पत्र जारी किया एंव अनुविभागीय अधिकारी को पुनरावलोकन अनुमति प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने पुनरावलोकन करने की अनुमति प्रदान की। तहसीलदार नागदा ने आवेदक की सुनवाई एंव जांच कर आदेश दिनांक 25-7-07 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी नागदा के समक्ष अपील क्रमांक 55/2006-07 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी नागदा ने आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 29-9-07 पारित किया तथा आवेदक की अपील अमान्य की। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 35/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 22 जून 2009 से अपील अर्खीकार की गई। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 1055-एक/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01-08-2009 से निगरानी अर्खीकार की गई। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर उभय पक्ष के अभिभाषकों तक श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के ग्राह्यता पर प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जिन आधारों पर आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन दिया गया है वह पूर्व में ही अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग,

उज्जैन द्वारा एंव तत्का. प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 01-08-2009 में विवेचना उपरांत निराकृत किये गये है। म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये तीन आधार बताये गये है :-

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की सकती थी।
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई प्रत्यक्षदर्शी भूल या गलती, या
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक उक्त में से पुनरावलोकन हेतु कोई भी आधार पुष्ट नहीं कर सके हैं कि वह किसी प्रकार का महत्वपूर्ण अभिलेख अथवा साक्ष्य तत्कालीन प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1055-एक/2009 में आदेश दिनांक 01-08-2009 पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं कर सके हैं अथवा आदेश दिनांक 01-08-2009 में कोई प्रत्यक्षदर्शी अभिलेखीय/ भूल या गलती हुई है। परिणामतः आदेश दिनांक 01-08-2009 के पुनरावलोकन का कोई औचित्य नहीं है। अतः पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(डॉ० मधु खरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर